तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5.8.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की ब.हस प्रा.पत्र अ.धा. 136 L.R.A पर सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी ब.हस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा गलियावावडी प.ह. रामपुरिया तह.बेगू की खाता स.108 में अंकित आराजी स.427/104 रकबा 0.4900 हैं। भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूलवश उमा के बजाय ओमा अंकित कर दिया है। जिसे ओमा के बजाय जरिये शुद्धीकरण के उमा अंकित किया जावे। प्रकरण में बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार बेगू के जवाब प्रा.पत्र व प्रा.पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों नकल जनम प्रमाण पत्र, नकल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र सभी छायाप्रति का गहन अवलोकन किया गया। नकल जन्म प्रमाण पत्र, नकल जाति प्रमाण पत्र में उमा देवी पिता तुलसीराम रेगर, नकल जाति प्रमाण पत्र में उमा देवी पुत्री तुलसीराम दर्ज अंकित है। व अन्य दस्तावेजों में उमा देवी पति छोगा लाल रेगर दर्ज अंकित है। एवं तहसीलदार बेगू ने अपने जवाब दावा में उमा और ओमा एक ही नाम है। व दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम उमा है। का अंकन किया हुआ है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र व दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड प्रार्थिया के नाम त्रुटि है। जिससे प्रा.पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थिया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 L.R.A का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे मौजा गालियावावडी प.ह. रामपुरिया के खाता स.108 आराजी स.427/104 रकबा 0.4900 हैं। भूमि मे ओमा के बजाय उमा देवी दर्ज अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो कायवाही।